भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1751**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं की शिकायतें**

**1751. श्रीमती कानीमोझीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अपने एनआरआई पतियों द्वारा दहेज और अन्य कीमती सामानों का गबन करने के बाद परित्यक्त महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के अनुसार नीति लाने पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं के लिए उपलब्ध निवारक उपाय कौन-कौन से हैं और इस मामले के संबंध में जागरुकता लाने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : रिट याचिका (सिविल) सं. 2018 का 1298, स्‍मिता कुदैसिया एवं अन्‍य बनाम भारत संघ एवं अन्‍य ने भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने 13.11.2018 को भारत संघ को एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं की शिकायत से संबंधित मुद्दे पर नीति बनाने की संभाविता का उल्‍लेख करने का निर्देश दिया है। एनआरआई वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिव, डब्‍ल्‍यूसीडी की अध्‍यक्षता में एक अंतरमंत्रालयीय संस्‍था अर्थात समेकित नोडल एजेंसी (आईएनए) का गठन किया गया है। इसके अलावा विदेश स्‍थित भारतीय मिशनों सहित विदेश मंत्रालय एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गई विपदाग्रस्‍त भारतीय महिलाओं को परामर्श, मार्गदर्शन एवं प्रक्रियाओं के बारे में सूचना आदि के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय सभी मिशनों एवं पोस्‍टों द्वारा एनआरआई पतियों से विवाहित विपदाग्रस्‍त महिलाओं को वित्‍तीय एवं कानूनी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि जागरूकता पैदा करने के लिए व्‍यथित भारतीय महिलाओं के विभिन्‍न मुद्दों के संबंध में एक व्‍यापक एफएक्‍यू तथा विदेशों में मौजूद कानूनी प्रावधानों, भारतीय मिशनों/पोस्‍टों के यहां पैनल में शामिल/पंजीकृत संगठनों/एनजीओ/वकीलों के डाटा वेस के बारे में सूचना तथा इनके निवारण के ढंग के बारे में ब्‍यौरा द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है और वेबसाइट पर डाला गया है।